यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** के माह 04/2017 से माह 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.05.2018 से 30.05.2018 तक श्री हिमांशु मणि, ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा, ले.प. एवं श्री ए.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वन संरक्षण संवर्धन तराई पूर्वी वन प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	8638.00
2016-17	9067.00
2017-18	9892.00

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	1331.79	1331.79	208.556	208.556	-	-
2016-17	1566.130	1566.130	520.320	520.320		-
2017-18	1706.4665	1706.4665	383.036	383.036	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2015-16	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	993600	993600	-
2016-17	प्रोजेक्ट ऐलीफैन्ट	-	150000	135000	15000(समर्पण प.सं. 2671/3-2 दि. 31.03.2017द्वारा)
	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	1013600	1013600	-
2017-18	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	-	467600	467600	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय

भाग-2 ब

प्रस्तर-1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹ 2.49 करोड़।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 केबिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।
उत्तराखंड शासन के पत्रांक:245/xxvii(7)/2012 दिनांक:22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनधिकारीकोर 5.00लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00 लाख की सीमा तक वन संरक्षक ारप्रदत्त कोअधिक निदेशक है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹ 24942564 कीलागत के 21 वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है।
अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 24942564 की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-30 वर्ष 2018-19

क्रमसंख्या	कार्यकानाम	धनराशि
1.	किलपुरा राजि के अंतर्गत पश्चिमी किलपुरा तृतिए बीट प्लॉट स 44 क्षे 21.00 हैकटैर क्षेत्र में वर्ष 2017 में वृक्षारोपण कार्य	602780
2.	किशनपुर राजि के अंतर्गत क्र स 01 प्लाट स 01 क्षे 26 हैकटैर में में वर्ष 2017-18 में वृक्षारोपण कार्य	751470
3.	किलपुरा राजि के अंतर्गत पश्चिमी किलपुरा द्वितिए बीट प्लॉट स 34 में वानिकी कार्य	716890
4.	किलपुरा राजि के अंतर्गत दोगाड़ी ब्लाक तृतिए बीट प्लॉट स 24 क्षे 26.30 हैकटैर यान्त्रिकी बीज बुआई	849014
5.	सुरई लुकार 30 ए क्षे 60 हेक्टर salanr क्षेत्र में विभिन्न वन वर्धनिक कार्य	1029100
6.	सुरई बघा 48 क्षे 150 हेक्टर salanr क्षेत्र में विभिन्न वन वर्धनिक कार्य	2029500
7.	सुरई बघा 51 प्लाट स 01 क्षे 151 हेक्टर salanr क्षेत्र में विभिन्न वन वर्धनिक कार्य	1463800
8.	डौली उत्तरी क्र स 02 क्षे 120 हेक्टर salanr क्षेत्र में विभिन्न वन वर्धनिक कार्य	625800
9.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखाताल क्र स 07 क्षे 160 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में 8 वर्ष वन वर्धनिक कार्य	1852500
10.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखाताल क्र स 04 क्षे 200 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में 8 वर्ष वन वर्धनिक कार्य	1910700
11.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखाताल क्र स 03 क्षे 160 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में 8 वर्ष वन वर्धनिक कार्य	1788800
12.	सुरई राजि के अंतर्गत लुकार 30 ब क्षे 60 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में 8 वर्ष वन वर्धनिक कार्य	2435550
13.	डौली राजि के अंतर्गत उत्तरी क्र स 01 क्षे 73 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में 8 वर्ष वन वर्धनिक कार्य	718750
14.	डौली राजि के अंतर्गत मैलाली क्र स 02 क्षे 40 हेक्टर में SAL पुनरत्पादन संवर्धन सुरक्षा एव परिचालन	716550
15.	खटीमा राजि के अंतर्गत झंकाईया क्र स 10 क्षे 50 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	1635400
16.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखताल क्र स 07 क्षे 160 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	1166200
17.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखताल क्र स 03 क्षे 160 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	1266550
18.	खटीमा राजि के अंतर्गत नखताल क्र स 04 क्षे 200 हेक्टर ANRSAL क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	1413250
19.	द जौलासार अंतर्गत सुदलीमठ प्रथम कछ स 4 अ क्षे 40 हे साल ए अन आर क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	606160
20.	द जौलासार राजिअंतर्गत सुदलीमठ प्रथम कछ स 4 ब क्षे 50 हे साल ए अन आर क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	763500
21.	द जौलासार राजि अंतर्गत सुदलीमठ प्रथम कछ स 4 अ क्षे 30 हे क्षेत्र में विभिन्न वानिकी एव वन वर्धनिक कार्य	600300
	योग	24942564

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 - अनियमित व्यय ₹10.75 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,तराईपूर्वीवन प्रभाग,हल्द्वानीकी रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबलकम्प्युटरमैनपावर सोल्युशंस सर्विस प्रोवाइडरनैनीतालद्वारा अप्रैल 2017 से **अप्रैल** 2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 04/2017 से 04/2018 तक ₹ 1075154 का भुगतान किया गया है। मै. ग्लोबल कम्प्युटर मैन पावर सोल्युशंस सर्विस प्रोवाइडर नैनीताल से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण पर कर लिया गया है। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोटेशन आमंत्रितकी गयी है परंतु विभाग साक्ष्य एव निविदा से संबन्धित पत्रावली उपलब्ध कराने में असफल रहा। अतःविभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 10.75लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

अतःप्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-3 वन्य जीवों द्वारा जान – माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 41.90 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्यजीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी। नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्यजीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जानमाल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि से सम्बन्धित अभिलेखो की वर्ष अप्रैल 2018 की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत मानव मृत्यु के 12 प्रकरण में ₹ 35 लाख,मानव घायल के ₹25 प्रकरण में ₹ 6.90 लाख का भुगतान कुल ₹41.90 लाख किया जाना अपेक्षित था,जो की प्रभाग द्वारा नहीं किया गया।

जबकि प्रभाग के पास अप्रैल 2018 के अंत में बैंक पासबुक के अनुसार ₹ 52,72,586 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है। अतः भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र कर के लेखपरीक्षा को सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा ताकि नियमवाली का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर4 : **लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय** ₹ 5.53 **लाख।**

विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रभाग द्वारा वर्ष 2015.16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 58 हेक्टेयर का चयन किया गया जिन पर₹ 553000 का व्यय किया गया है। इन क्षेत्रों में द्वितीय तथा तृतीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है।अतः स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में द्वितीय एव तृतीय वर्ष लगातार लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः प्रभाग द्वारा वर्ष 2015.16 के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹553000 का व्यय निष्फल रहा।

अतः₹ 5.53 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर1- वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹ 55838

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के पत्र संख्या 272/07-01 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

जिसके अनुसार प्रभाग में वर्ष 2016-17 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत न होने के कारण **₹ 55838** का निष्फल व्यय हुआ।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल(हैकटैर में)	रोपण वर्ष	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय(कम जीवित पौध *10.09)(₹ में)
1	बाराकोली	बाराकोली अ प्लाट स 41	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एव वनो का संरक्षण	29.4	2016-17	14700	13624	92.68% / 95%	341	3441
2	खटीमा	छीनी 14 प्लाट स 2	कैम्पा परियोजना	10	2016-17	11000	9649	87.71% / 95%	801	8082
3	किलपुरा	दोगाड़ ब्लाक प्लाट स 5 व 6	कैम्पा परियोजना	20	2016-17	10000	5108	51.08% / 95%	4392	44315
										55838

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया की इस समय सफलता प्रतिशत सही है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सफलता प्रतिशत सही है के संदर्भ में विभाग द्वारा कोई जांच नहीं कराई गयी है, न ही कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंडद्वारा इस संदर्भ में कोई दुबारा जांच की गयी है। न ही प्रभाग द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है और न ही कम सफलता प्रतिशत के संदर्भ में प्रभाग द्वारा संबन्धित राजि पर कोई कार्यवाही की गयी है।

अतः वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹ 55838 का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2- निष्प्रयोज्य वाहनो का निस्तारण न किए जाने के कारण अवरुद्ध राशि ₹ 245000

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी निष्प्रयोज्य वाहनो की सूची का अवलोकन करने पर पाया गया की विभाग में ₹ 245000 मूल्य के पाँच वाहन (सूचीसंलग्न) निष्प्रयोज्य है। जिनके निस्तारण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वाहनकाप्रकार	वाहनकारजिस्ट्रेशननंबर	वाहनकामॉडल	वर्तमानअनुमानितमूल्य (₹में)
मार्शलजीप	UA-04-L2644	2001	65000
जिप्सी	UP-02-C 8705	1998	42000
ट्रक	URN 9201	1981	100000
डी सी एम टोयटा	U.P. 07 E 6424	1992	38000
मार्शल जीप	U.A. 04A 3478	2003	-

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया किनिष्प्रयोज्यवाहनोकेनिस्तारण की कार्यवाही चल रही है तथा कार्यवाही पूर्ण करलेखापरीक्षाकोअवगतकरनेकाआश्वाशनदियाहै।

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा

संप्रेक्षा में रहेगी।

STAN

प्रस्तर3- कर्मचारियों द्वारा जमानत धनराशि 2.11 लाख जमा न कराया जाना ₹ 2.11 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वनप्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रमसंख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमाधन राशि	अवशेषधनराशि
1.	श्री जितेंद्र प्रसाद डिमरी	वन क्षेत्राधिकारी	25000	0	25000
2.	श्री बी.डी.जोशी	वन क्षेत्राधिकारी	25000	5000	20000
3.	श्रीसुधीर कुमार	वन क्षेत्राधिकारी	25000	0	25000
4.	श्रीकृषण सिंह मेहरा	उप वन क्षेत्राधिकारी	20000	10000	10000
5.	श्री मुकुल सुनाल	उप वन क्षेत्राधिकारी	20000	10000	10000
6.	श्रीजगदीश चन्द्र विनवाल	वन दरोगा	10000	5000	5000
7.	श्रीदेवेंद्र प्रकाश आर्या	वनदरोगा	10000	5000	5000
8.	श्रीहरीश लाल	वनदरोगा	10000	0	10000
9.	श्रीहंसदत्त दुमका	वन दरोगा	10000	0	10000
10.	श्रीशोभा शंकर पांडे	वन आरक्षी	5000	0	5000
11.	श्रीअब्दुल वहीद अंसारी	वन आरक्षी	5000	0	5000
12.	श्री पूरन सिंह बिष्ट	वन आरक्षी	5000	0	5000
13.	श्री धन सिंह अधिकारी	वन आरक्षी	5000	0	5000

14.	श्री निर्मल रावत	वन आरक्षी	5000	0	5000
15.	श्री रामेश्वर दयाल वर्मा	वन आरक्षी	5000	0	5000
16.	श्री मोहन सिंह सामंत	वन आरक्षी	5000	0	5000
17.	श्री विनोद कुमार	वन आरक्षी	5000	0	5000
18.	श्री जहीरुल हसन ज़ेदी	वन आरक्षी	5000	0	5000
19.	श्री भूपाल सिंह	वन आरक्षी	5000	0	5000
20.	श्री हरी सिंह गोनिया	वन आरक्षी	5000	0	5000
21.	श्री विनोद कुमार सुयाल	वन आरक्षी	5000	0	5000
22.	श्री बबीता बेलवाल	वन आरक्षी	5000	0	5000
23.	श्री संजय कुमार प्रथम	वन आरक्षी	5000	0	5000
24.	श्री कृषण पाल सिंह गौतम	वन आरक्षी	5000	1500	3500
25.	श्री श्रवण कुमार	वन आरक्षी	5000	1000	4000
26.	श्री लाल सिंह	वन आरक्षी	5000	0	5000
27.	कु. अन्नपूर्णा सागर	वन आरक्षी	5000	4000	1000
28.	कु. मेनका उपाध्याय	वन आरक्षी	5000	4000	1000
29.	श्री केशव दत्त बमेठा	प्रधान सहायक	2000	1000	1000
30.	श्री हरीश सिंह बिष्ट	प्रधान सहायक	2000	1000	1000
31.	श्री नंदलाल	चालक	3000	0	3000

32.	श्री जगन्नाथ	डाकिया	500	0	500
33.	श्री हरद्वारी लाल	माली	500	0	500
योग					₹210500

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जमानत जमा की धनराशि जमा कराने की कार्यवाही गतिमान है।

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
26/2011-12	-	01	
32/2013-14	-	02	
60/2015-16	-	02	
13/2016-17	-	01,02	
43/2016-17	-	01,02,03,04,05	01

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
43/2016-17	-	06	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल**) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री नीतीश मणि त्रिपाठी	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र